संख्या- 3/ 1046/35-3-2014-1(24)-2014

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

जिलाधिकारी,
लखीमपुर-खीरी ।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 12 दिसम्बर, 2014

विषय: शासनादेश संख्या- 929/35-3-2014-1(24)-2014 दिनांक: 17 नवम्बर 2014 में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 762/बां0ए0डे0का / 2014-15, दिनांक 29 नवम्बर, 2014 में प्राप्त सूचना के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है। कि शासनादेश संख्या- 929/35-3-2014-1(24)-2014 दिनांक: 17 नवम्बर, 2014 की तालिका के क्रमांक- 1 व 2 पर अंकित ''विकासखण्ड-निघासन'' को एतव्दारा संशोधित करते हुऐ विकासखण्ड–निघासन के स्थान पर ''पलिया '' पढ़ा जायेगा।

2- शासनादेश संख्या– 929/35-3-2014-1(24)-2014 दिनांक: 17 नवम्बर, 2014 इस सीमा तक संशोधित समझा जायें।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या- / (1)/ 35-3-2014-1(24)-2014

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग / पचायतराज विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं दितीय) इलाहाबाद ।
4- निदेशक, साख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
6- कोषधिकारी, लखीमपुर खीरी ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/ खादी ग्रामोधोग अनुभाग -1 ।
8- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) लखनऊ मण्डल।
9- अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखीमपुर खीरी।
10- राज्य योजना आयोग-1
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in